रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1973/आश्विन 6, 1895
No. 227] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1973/ASVINA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th September 1973

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to France during the licensing year* 1973-74.

No. 26-ETC(PN)/73.—The Scheme relates to export of all varieties of mill made cotton textiles from India to France during the Licensing year 1st October, 1973 to 30th September, 1974.

2. For purpose of licensing, the shipment period will be divided into two six monthly periods, 1st October, 1973 to 31st March, 1974 and 1st April, 1974 to 30th September, 1974.

3. Licences under the scheme shall be issued by the Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay on the basis of quota certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first-served basis, on the recommendations of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

(a) The quota certificate for shipment during the first six monthly licensing period will be issued, on presentation, by, the exporters, of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in Kgs. of the goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

(b) The second six-monthly distribution will be made later in accordance with the decision of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

4. For the purpose of exports and issuance of quota/licence, cotton textiles have been divided into the following two groups:

Group I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not. GROUP I covers items classified under categories **B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.**

Group II—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

GROUP II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

5. According to the agreement, imports of cotton textiles into France will be admitted by the competent French Authorities only on presentation of the Green certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which French Authorities would issue import licence.

6. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

8. A non-refundable amount of Rs. 10/- per tonne, subject to minimum of Rs. 5/- will be charged by the Cotton Textiles Export Promotion Council, for issue of quotas.

9. All quota holders shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

10. The E.E.C.-Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

11. The address of the Cotton Textitle Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"
5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-4.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1973

विषय: लाइसेंस वर्ष 1973-1974 के दौरान भारतीय सूती वस्त्रों का फ्रांस को निर्यात के लिये लाईसें देने से संबन्धित योजना।

संख्या 26-ई०टी०सी० (पी०एन०)/73.—लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1973 से 30 सितम्बर, 1974 तक सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्रों का भारत से फ्रांस को निर्यात करने से यह योजना संबंध रखती है।

2. लाइसेंस देने के विचार से पोतलदान की अवधि को 1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 और 1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 की दो छह माही अवधियों में बांटा जाएगा ।

3. ई० ई० सी० आस्ट्रिया सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिश पर इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, से जारी किये गये कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जारी किये जाएंगे।

(क) निर्यातकों को पोतलदान के लिये प्रथम छह माही लाइसेंस अवधि के दौरान फर्म संविदा और अन्य ब्यौरे के साथ टेक्सप्रोसिल द्वारा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित प्रपत्र में माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

(ख) दूसरी छह माही का वितरण ई० ई० सी०- आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार बाद में किया जाएगा ।

4' निर्यातों और कोटे,/लाईसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों का निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है:—

वर्ग 1:—सूती वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ। वर्ग 1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं :—

बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी और सी 1 ।

वर्ग 2:—अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री, और सूती की विविध सामग्री :—

वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदे आती है :—

सी 2, सी 3, सी 4, सी 5, सी 6, सी 7 डी, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7 ई 8, ई 9, ई 10, ई 11, एफ, एफ 1, एफ 2, एफ 3 और एफ 4 ।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के यहां मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रुप में उपलब्ध हैं।

5. करार के अनुसार, फ्रान्स में सूती वस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, द्वारा जारी किये गये ग्रीन सर्टिफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही फ्रान्स के समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिसके आधार पर फ्रान्स के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

6. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोतलदान के लिये वैध होंगे ।

7. ई०ई० सी० और अस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे।

8. कोटा जारी करने के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 10 के हिसाब से एक आदेय शुल्क वसूला जाएगा। इसकी न्यूनतम राशि 5 रु० होगी ।

9. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किये गये हैं, उसके लिये उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये ब्यौरे परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिये।

10. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे —(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जैसे समिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिये पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिये अधिकृत है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द करदे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किये हुए कोटा के लिये दिये गये आवेदनपत्र को रद्द करदे।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :-
"इंजीनियरिंग सेन्टर",
5 वीं मंजिल,
9. मैथ्यू रोड,
बम्बई 4।

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to Italy during the licensing year* 1973-74.

No. 27-ETC(PN)/73.—The Scheme relates to export of all varieties ofmillmade cotton textiles from India to Italy during the Licensing year 1st October, 1973 to 30th September, 1974.

2. For purpose of licensing, the shipment period will be divided into two six monthly periods, 1st October, 1973 to 31st March, 1974 and 1st April, 1974 to 30th September, 1974.

3. Licences under the scheme shall be issued by the Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay on the basis of quota certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first-served basis on the recommendations of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

(a) The quota certificate for shipment during the first six monthly licensing period will be issued on presentation, by the exporters, of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in Kgs. of the goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

(b) The second six-monthly distribution will be made in accordance with the decision of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

4. For the purpose of exports and issuance of quota/licence, cotton textiles have been divided into the following two groups:

Group I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not. GROUP I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 B8, C and C1.

Group II.—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

GROUP II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

5. According to the agreement, imports of cotton textiles into Italy will be admitted by the competent Italian Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which Italian Authorities would issue import licence.

6. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

8. A non-refundable charge of Rs. 10/- per ton will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5/-.

9. All quota holders shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

10. The E.E.C.—Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assining any reasons.

11. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"
5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-4.

विषय : लाइसेंस वर्ष 1973–1974 के दौरान भारतीय सूती वस्त्रों का इटली को निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना ।

सं० 27-ई० टी० सी०(पी० एम०)/73.—लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1973 से 30 सितम्बर, 1974 तक सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्रों का भारत से इटली को निर्यात करने से यह योजना सम्बन्ध रखती है ।

2. लाइसेंस देने के विचार से पोतलदान की अवधि को 1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 और 1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 की दो छहमाही अवधियों में बांटा जाएगा ।

3. ई० ई० सी०–आस्ट्रिया सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिश पर इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई से जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जारी किए जाएंगे ।

(क) निर्यातकों को पोतलदान के लिए प्रथम छह माही लाइसेंस अवधि के दौरान फर्म संविदाओं और अन्य ब्योरे के साथ टैक्सप्रोसिल द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(ख) दूसरी छह माही का वितरण ई० ई० सी०–आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार किया जाएगा ।

4. निर्यातों और कोटे लाइसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है :—

वर्ग 1 :—सूती वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ। वर्ग 1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं :—
बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी और सी 1।

वर्ग 2 :—अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और सूत की विविध सामग्री :—
वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें आती हैं:—
सी 2, सी 3, सी 4, सी 5, सी 6, सी 7, डी, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7, ई 8, ई 9, ई 10, ई 11, एफ, एफ 1, एफ 2, एफ 3, और एफ 4।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के यहां मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध है।

5. करार के अनुसार, इटली में सूती वस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टिफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही इटली के समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिस के आधार पर इटली के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे।

6. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोतलदान के लिए वैध होंगे।

7. ई० ई० सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे।

8. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रति टन 10 रु० के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूला जाएगा। इसकी न्यूनतम राशि 5 रु० होगी।

9. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये ब्योरे परिषद् के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए।

10. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे —(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदनपत्र को रद्द करदे।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर",
5वीं मंजिल,
9, मैथ्यू रोड,
बम्बई–4

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian cotton millmade textiles for export to the U.S.A. during the licensing year 1st October, 1973 to 30th September, 1974.*

No. 28-ETC(PN)/73.—The Scheme relates to the export of all the 64 ICTA categories of cotton millmade textiles from India to the USA under the quota for the licensing year 1st October, 1973 to 30th September, 1974.

2. For purpose of licensing the shipment period will be divided into two six monthly periods, 1st October, 1973 to 31st March, 1974 and 1st April, 1974 to 30th September, 1974.

3. Exports will be allowed from any port in India.

4. Licenses under the Scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of the quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL) on the recommendations of the U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee. This shall apply in the case of exports of:

ICTA Code No.009/10	(sheeting carded/combed yarn)
ICTA Code No.018/19	(print cloth, shirting types carded yarn)
ICTA Code No.022[illegible]	(twill and sateen carded yarn)
ICTA Code No. 026	(woven fabrics n.e.s. carded yarn, duck only)
ICTA Code No. 026	(woven fabrics n.e.s. carded yarn, other than duck)
ICTA Code No.028/29	(pillow cases, carded/combed yarn)
ICTA Code No. 030	(dish towels)
ICTA Code No.031	(towels, other than dish towels)
ICTA Code No.034/35	(bed sheets, carded/combed yarn) and
ICTA Code No.064	(only in respect of terry napkins, terry wash cloth & terry mops of size 12" x 12" or below, napkins other than terry and table covers).

(a) For the purpose of exports of cotton textiles of ICTA Categories 1 to 8, 11 to 17, 20, 21, 23 to 25, 27, 32, 33, 36, 37 to 63 and 64 (items other than terry napkins, terry wash cloth and terry mops of size 12"x12" or below, napkins other than terry and table covers) the quotas/licences will be issued against individual shipments, by way of endorsements on the shipping bill on first-come-first-served basis subject to the condition that as soon as the ceiling laid down is reached, exports thereunder shall be stopped forthwith. In respect of bedspreads falling under category 036, the quotas will be allotted on shipping bills on first-come-first-served basis provided the condition of minimum price of 23 US $ f.o.b. or 25 $ c.i.f. per square yard is fulfilled.

(b) The first six-monthly distribution will be made on the above basis. The second six-monthly distribution will be made later in accordance with the decision of the U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee.

(c) The list of 64 ICTA Categories and details of the items falling under the same are available with the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.

5. The U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee consists of three representatives nominated by the Indian Cotton Mills' Federation and three by the Cotton Textiles Export Promotion Council, one representative from the clothing manufacturer's Association of India, Bombay and one representative each nominated by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, and the Textile Commissioner, Bombay.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee.

7. Quotas under each of the above categories will be allotted in terms of the decisions taken from time to time by the U.S.A Textiles Licensing Advisory Committee.

8. All Shipments of cotton textiles made during each month from any port in India shall be reported by the exporters concerned to the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, by the 10th of the subsequent month.

9. A non-refundable amount of Re.1/- for every 1000 square yards, subject to minimum of Rs. 5/-, will be charged by the Cotton Textiles Export Promotion Council, for issue of quotas.

10. The U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee is empowered to frame rules and regulations from time to time *inter-alia*, to provide for the conditions to be complied with by an applicant before he would be eligible to quota.

11. The U.S.A. Textiles Licensing Advisory Committee shall also:

(a) supervise the entire scheme;

(b) keep watch over the performance from time to time;

(c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and

(d) make such changes in the scheme as the Committee may consider fit from time to time.

12. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"
5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-4.

विषय: लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1973 से 30 सितम्बर, 1974 के दौरान भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों का संयक्त राज्य अमरीका को निर्यात के लिये लाइसेंस देने से संबंधित योजना ।

संख्या 28-ई० टी०सी० (पी० एन०)/73.—यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1973 से 30 सितम्बर, 1974 तक के लिये कोटा के अन्तर्गत भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को मिल निर्मित सूती वस्त्रों की सभी 64 आईटीसी टीए श्रेणियों के निर्यात से संबंध रखती है।

2. लाइसेंस देने के प्रयोजन हेतु, पोतलदान की अवधि को 1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक तथा 1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक छ: छ: मास की दो अवधियों में बांटा जाएगा ।

3. भारत के किसी भी पत्तन से निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी ।

4. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिश पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (टेक्सप्रोसिल) द्वारा जारी किये गए कोटा प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किये जाएंगे । यह निम्नलिखित निर्यातों के मामले में लागू होगा :—

आई० सी० टी० ए० कोड सं० 009/10 (शीटिंग कार्डिड/साफ किये हुए धागे)

आई० सी० टी०ए० कोड स 018/10 (प्रिन्ट कपड़ा, शटिंग टाइप के धुने हुए धागे)

आई०टी०सी०ए० कोड सं० 022/(ट्विल तथा सटीन धुने हुए धागे)

आई०सी०टी० ए० कोड स० 026/(बुने हुए वस्त्र जो और कहीं विशिष्टिकृत नहीं हैं, धुने हुए धागे, केवल मोटा सूती कपड़ा) ।

आई०सी०टी०ए० कोड सं० 026 (बुने हुए वस्त्र जो और कहीं विशिष्टिकृत नहीं हैं, धुने हुए धागे, मोटे सूती कपड़ों से भिन्न)।

आई०सी०टी०ए० कोड सं० 028/29 (तकिये के गिलाफ, धुने हुए/साफ किये हुये धागे)।

आई०सी०टी०ए० कोड सं० 030 (भोजन के समय प्रयोग में आने वाले तौलिये)

आई०सी०टी०ए० कोड सं० 031 (भोजन के समय प्रयोग में आने वाले तौलियों से भिन्न तौलिए)।

आई०सी०टी०ए० कोड सं० 34/35 (बिछाने के लिये चादरें, धुने हुए/साफ किये हुए धागे), तथा

आई० सी० टी० ए० कोड सं० 064 (केवल टेरि नेपकिन्स, टेरि वाश क्लाथ तथा 12" × 12" अथवा इससे कम साइज के टेरि मोप्स, टेरि तथा मेजपोशों से भिन्न नेपकिन)।

(ए) आई०सी०टी०ए० 1 से 8, 11 से 17, 20, 21, 23 से 25, 27, 32, 33, 36, 37 से 63 तथा 64 श्रेणियों (टेरि नेपकिन्स, टेरिवाश क्लाथ तथा 12" 12" अथवा इससे कम साइज के टेरी मोप्स से भिन्न मदे, टेरि तथा मेजपोशों से भिन्न नेपकिन) के सूती वस्त्रों के निर्यात के प्रयोजन हेतु कोटे/लाइसेंस लदान बिल पर पृष्ठांकन करके, अलग अलग पोतलदान के मद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर जारी किये जाएँगे और ये इस शर्त के अधीन होंगे कि जैसे ही निर्धारित उच्चतम मूल्य सीमापूर्ण हो जाती है, इसके अन्तर्गत तुरन्त ही निर्यात रोक दिये जायेंगे। श्रेणी सं० 036 के अन्तर्गत आने वाले पलग/पोशों के मामलों में कोटे, लदान बिलों प'र पहले आए सो पहले पाए के आधार पर नियत किये जाएँगे, बशर्ते कि प्रति वर्ग गज के जहाज पर निशुल्क मूल्य की न्यूनतम कीमत 23/एस शिलिंग अथवा लागत–बीमा–भाड़ा मूल्य की न्यूमतम कीमत 25 यू एस शिलिंग की शर्त को पूरा किया जाता है।

(बी) पहला छ: मासिक वितरण उपर्युक्त आधार पर किया जाएगा। दूसरा छ: मासिक वितरण, सयुक्तराज्य अमरीका सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार बाद में किया जाएगा।

(सी) 64 आई० सी० टी० ए० श्रेणियों तथा इन के अन्तर्गत आने वाली मदों के विवरण की सूची, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के पास उपलब्ध है।

5. संयुक्त राज्य अमरीका सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति में, भारतीय सूती मिल संगठन द्वारा नामित 3 प्रतिनिधि और सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन, बम्बई द्वारा नामित 3 प्रतिनिधि, भारतीय कपड़ा निर्माण संघ, बम्बई द्वारा नामित 1 प्रतिनिधि और प्रत्येक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई तथा वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा एक एक प्रतिनिधि है।

6. संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा अहस्तान्तरणीय नही होंगे।

7. उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के अधीन कोटा संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार आवंटित किए जाएंगे।

8. भारत के किसी भी पत्तन से प्रत्येक महीने के दौरान सूती वस्त्रों के लिए गए पोतलदानों की सूचना सम्बद्ध निर्यातकों द्वारा सूती वस्त्र निर्यात सवर्धन परिषद, बम्बई को आगामी माह की 10 तारीख तक दी जाएगी।

9 सूती वस्त्र निर्यात सवर्धन परिषद द्वारा कोटा जारी करने के लिए प्रति 1,000 वर्ग गज पर 1.00 रुपये के हिसाब से अदेय धनराशि उगाही जाएगी, यह धनराशि कम से कम 5.00 रुपये होगी।

10. आवेदक को कोटे के लिए पात्र बनने से पहले शर्तों का उसके द्वारा अनुपालन कराने के साथ ही साथ सयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति को समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के अधिकार हैं।

11. सयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्य भी करेगी;

(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण ;

(ख) समय समय पर कार्य निष्पादन की निगरानी रखना ;

(ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना ; और

(घ) योजना में ऐसे परिवर्तन करना जो समिति समय समय पर उचित समझे।

12. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखत है :—

इजीनियरिंग सेन्टर, पाचवी मंजिल,
9, मथ्यू रोड, बम्बई-4;

SUBJECT —*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to Benelux (Belgium, Netherlands and Luxembourg) Countries during the Licensing year* 1973-74

No. 29-ETC(PN)/73 —The Scheme relates to export of all varieties of millmade cotton textiles from Indian to BENELUX (Belgium, Netherlands and Luxembourg) Countries during the Licensing year 1st October, 1973 to 30th September, 1974

2 For purpose of licensing the shipment period will be divided into two six montnly periods, 1st October, 1973 to 31st March, 1974 and 1st April, 1974 to 30th September, 1974

3 Licences under the scheme shall be issued by the Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports Bombay on the basis of quota certificate issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first-served basis, on the recommendations of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee

(a) The quota certificate for shipment during the first six monthly licensing period will be issued on presentation, by the exporters, of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in Kgs of the goods in the Form prescribed by Texprocil for the purpose.

(b) The second six-monthly distribution will be made in accordance with the decision of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

4 For the purpose of exports and issuance of quota/licence, cotton textiles have been divided into the following two groups

Group I —Cotton fabrics grey or bleached mercerised or not GROUP I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II.—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

GROUP II covers items falling under categories C2 C3, C4 C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

5. According to the agreement, imports of cotton textiles will be admitted by the competent Authorities in the Benelux countries only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the Benelux Authorities would issue import licences.

6. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

8. A non-refundable charge of Rs. 10/- per ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5/-.

9. All quota holders shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

10. The E.E.C.-Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time, (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

11. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"
5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-4

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : लाइसेंस वर्ष 1973–1974 के दौरान भारतीय सूती वस्त्रों का बेनिलक्स (बेल्जियम, नीदरलैंडस, लक्समबर्ग) देशों को निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना।

सं० 29-ई०टी०सी० (पी० एन०)/74.—लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर 1973 से 30 सितम्बर 1974 तक सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्रों का भारत से बेनिलक्स (बेल्जियम, नीदरलैंड्स तथा लक्समबर्ग) देशों को निर्यात करने से यह योजना सम्बन्ध रखती है।

2 लाइसेंस देने के विचार से पोतलदान की अवधि को 1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च 1974 और 1 अप्रैल 1974 से 30 सितम्बर 1974 की दो छह माही अवधियों में बांटा जाएगा।

3. ई०ई०सी०—ग्रास्ट्रिया सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिश पर इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद बम्बई से जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले आए से पहले पाए के आधार पर जारी किए जाएंगे।

(क) निर्यातकों को पोतलदान के लिए प्रथम छहमाही लाइसेंस अवधि के दौरान फर्म संविदा और अन्य ब्यौरे के साथ टेक्सप्रोसिल द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन दर्शाते हुए एक बीजक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(ख) दूसरी छहमाही का वितरण ई०ई०सी०—ग्रास्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

4. निर्यातों और कोटो/लाइसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है :—

वर्ग–1 : सूती वस्त्र, भरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ। वर्ग 1, मे नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं :—

बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी और सी 1।

वर्ग–2 : अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और सूत की विविध सामग्री :—

वर्ग 2 में नीचे लिखो श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें आती है :—

सी 2, सी 3. सी 4, सी 5, सी 6, सी 7' डी, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, ई, ई 1, ई 2, ई 3, ई 4, ई 5, ई 6, ई 7, ई 8, ई 9, ई 10, ई 11, एफ, एफ 1, एफ 2, एफ 3, और एफ 4।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के यहां मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध है।

5. करार के अनुसार, बेनिलक्स में सूती वस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टिफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही बेनिलक्स के समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिस के आधार पर बेनिलक्स के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे।

6. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोतलदान के लिए वैद्य होंगे।

7. ई०ई०सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे।

8. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 10 रु० के हिसाब से एक अवेय शुल्क वसूली जाएगा। इसकी न्यूनतम राशि 5 रु० होगी।

9. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये ब्यौरे परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए।

10. ई०ई०सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे—(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय-समय, पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे कोटा प्राप्त करन के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ ला सेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन को रद्द कर दे।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर"

5वीं मंजिल

9, मथ्यू रोड,

बम्बई-4.

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973